

क्रम-संख्या—231
समिति नम्बरी ४३०५००१०



रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०

डब्ल्यू/एन०पी०—९१/२०१४—१८

लाइसेन्स ट्रू प्रोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, ३ दिसम्बर, 2021

अग्रहायण १२, १९४३ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

सहकारिता अनुभाग—१

संख्या १४३७/४९-०१-२०२१

लखनऊ, ३ दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

प०आ०—३९७


उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १ सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) की धारा 130 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (साठवां संशोधन) नियमावली, 2021

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (साठवां संशोधन) नियमावली, संक्षिप्त नाम एवं 2021 कही जायेगी।
प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 (जिसे आगे ‘उक्त नियमावली’ नियम 453(1)(ग) कहा गया है) में नीचे स्तम्भ—१ में दिये गये नियम 453(1)(ग) के स्थान पर स्तम्भ—२ में दिया का संशोधन गया नियम रख दिया जायेगा।



स्तम्भ-2
प्रतिस्थापित नियम
453(1)(ग) वह विकृत चिल्ल हो;

आज्ञा से,
बी0 एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश कृषि नियम

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1437/XLIX-I-2021, dated December 3, 2021:

No. 1437/XLIX-I-2021

Dated Lucknow, December 3, 2021

IN exercise of the powers under section 130 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 (U.P. Act no. 11 of 1966) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Rules, 1968.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (SIXTIETH AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement

I. (1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Sixtieth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 453(1)(c)

2. In the Uttar Pradesh Co-operative Societies Rules, 1968 (hereinafter referred to as the "said rules"), for rule 453 (1)(c) set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely,

COLUMN-I

Existing rule

453 (1)(c). he is of unsound mind, or
is deaf and dumb, or blind;

COLUMN-II

Rule as hereby substituted

453 (1)(c). he is of unsound mind;

By order,

B. L. MEENA,

Pramukh Sachiv.

मान्यता (प्रतिक्रिया विभाग)

प्रतिक्रिया विभाग (प्रतिक्रिया विभाग)

प्रतिक्रिया विभाग

प्रतिक्रिया विभाग

प्रतिक्रिया विभाग

पी०एस०य०पी०-८०पी० 447 राजपत्र-2021-(1001)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०य०पी०-८०पी० 4 सा० सहकारिता-2021-(1002)-100 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।